नम्बर व अहकाम प्र. हुक्म की ता. जारी हुए

ालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

आवेदन सं. 312/2018

ासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी –

1. हरीराम पुत्र जालाराम जाति विश्नोई
निवासी भवानीपुरा (चालकना)
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण –

1. सदराम 2. चन्दणाराम 3. वीरमाराम 4. हरीराम 5. नारायणराम
6. भाखराराम पि. जगराम 7. चुकीदेवी पत्नी जगराम 8. हरीराम
9. किशनाराम पि. भींयाराम 10. माडू पत्नी भींयाराम
11. पूनमाराम 12. ठाकराराम 13. रामलाल 14. पनराम
15. बंशीलाल पि. भूरा जातियान विश्नोई निवासी भवानीपुरा(चालकना)
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
16. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री बाबूलाल विश्नोई**

विप्रार्थी संख्या 1 से 14 के वकील – **श्री भाखराराम विश्नोई**

सहायक कलक्टर सेड़वा

निर्णय

दिनांक :– 13.10.2022

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 का संयुक्त खातेदारी का खेत सरहद मौजा चालकना पटवार क्षेत्र भैरूड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ब्रामड़ला तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 80 रकबा 05.01 बीघा किस्म बारानी सोयम व मौजा भवानीपुरा के खेत खसरा संख्या 106 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै.मु. खसरा संख्या 107 रकबा 08.13 बीघा, खसरा संख्या 108 रकबा 01.01 बीघा किस्म गै.मु. खसरा संख्या 109 रकबा 209.09 वीघा किस्म बारानी सोयम के आये हुए है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी का 1/3 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 1 व 15 का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व विप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से माफिक मौके पर काबिज है तथा वर्तमान में इसी हिस्सा मुजब पक्षकारों के आपस में बाहमी तौर से भूमि का बंटवाड़ा किया हुआ है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त विवादाग्रस्त आराजी प्रार्थी व विप्रार्थीगण के नाम संयुक्त दर्ज होने से व

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

पर आपसी बाहमी तौर से किये बंटवाड़ा अनुसार कानूनी रूप से किये बंटवाड़ा अनुसार कानूनी रूप से भूमि का बंटवाड़ा कर पृथक की हुई नहीं होने से प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का फसल बीमा आदि करवाने में भारी अड़चने आने से प्रार्थी उक्त विवादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि में मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा कर पृथक करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी का मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर रहवासी ढाणियां, पशुबाड़ा आदि बने हुए है, परन्तु वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं किए होने के कारण विप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है तथा प्रार्थी को यह भी धमकियां दे रहा है कि यदि वह को उक्त भूमि से बेदखल करने से कामयाब नहीं हुए तो वह प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देगें, यदि विप्रार्थीगण अपने इस नाजायज मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में करना संभव नहीं होगा तथा प्रार्थी के हितो पर कुठाराघात होगा, इसलिए प्रार्थी विप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नही करे तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करें, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि मौजा चालकना पटवार क्षेत्र भैरूड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 80 रकबा 05.01 बीघा किस्म बारानी सोयम व मौजा भवानीपुरा के खेत खसरा संख्या 106 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै.मु. खसरा संख्या 107 रकबा 08.13 बीघा, खसरा संख्या 108 रकबा 01.01 बीघा किस्म गै.मु. खसरा संख्या 109 रकबा 209.09 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि के संबंध में विप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करे। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश कर पर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 312/2018 दिनांक 23.06.2020 मौजा चालकना पटवार क्षेत्र भैरूड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 80 रकबा 05.01 बीघा किस्म बारानी सोयम व मौजा भवानीपुरा के खेत खसरा संख्या 106 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै.मु. खसरा संख्या 107 रकबा 08.13 बीघा, खसरा संख्या 108 रकबा 01.01 बीघा किस्म गै.मु. खसरा संख्या 109 रकबा 209.

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

किस्म बारानी सोयम भूमि पर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी गया।

उभयपक्षकारान वकील उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 1 से 14 की ओर से निम्नानुसार है– प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के विरूद्व गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व वाद–पत्र धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमें वादी को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वादी रंगू बेवा रिड़मल का दोहिता नहीं है। रिड़मल पुत्र सालू लाऔलाद फौत हुआ थ और अमरू रिड़मल की कोई पुत्री नहीं थी। रिड़मल के फौत होने पर रंगू ने खियांराम नामक व्यक्ति के साथ पला (नाता विवाह)/दूसरा विवाह कर, रिड़मल के समस्त हक–हकूक चल व अचल सम्पत्ति का हमेशा–हमेशा के लिए परित्याग कर दिया था जिसमें प्रार्थी का आवेदन काबिल खारीज है। वादग्रस्त खेतान ग्राम चालकना के खेत खसरा संख्या 80 रकबा 05.01 बीघा व मौजा भवानीपुरा के खेत खसरा संख्या 106 रकबा 0.02 बीघा खसरा संख्या 107 रकबा 08.13 बीघा, खसरा संख्या 108 रकबा 01.01 बीघा खसरा संख्या 109 रकबा 209.09 बीघा पर वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं नही रहा है जिससे वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज होते हुए भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी के खातेदारी अधिकार धारा 63 (1)(1V) के तहत कानूनन सदैव के लिए समाप्त हो गये है और खातेदारी अधिकार सम्पूर्ण खेतान पर विप्रार्थीगण का सद्भाविक काश्तकार के रूप में कब्जा–काश्त होने से विप्रार्थीगण में निहित हो गये है। प्रार्थी ने वादग्रस्त खेतान ग्राम चालकना के खेत खसरा संख्या 80 रकबा 05.01 बीघा व मौजा भवानीपुरा के खेत खसरा संख्या 106 रकबा 0.02 बीघा खसरा संख्या 107 रकबा 08.13 बीघा, खसरा संख्या 108 रकबा 01.01 बीघा खसरा संख्या 109 रकबा 209.09 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा अभिवचन कर बंटवाड़ा कराने के अधिकारी होना बताया है जबकि प्रार्थी का कभी भी उपरोक्त खेतान की भूमि पर, किसी भी भू–भाग पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड में लाऔलाद फौत रिड़मल पुत्र सालू का पत्नी रंगू बेवा रिड़मल की अमरू पुत्री रिड़मल बताकर रंगू एवं अमरू को फौत बताकर हीरा पुत्र जाला नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं होत हुए भी षड्यंत पूर्वक छल–कपट से राजस्व कर्मचारियों को प्रलोभन देकर हीरा पुत्र जाला नाम का नामान्तकरण संख्या 48 ग्राम चालकना पारित करवाया। तत्पश्चात् हीरा पुत्र जाला के स्थान पर वादी ने अपना नाम हरीराम पुत्र जाला अवैध रूप से दर्ज करवाया है प्रार्थी का वादग्रस्त खेतान में किसी भी, भू–भाग पर कभी भी कब्जा–काश्त नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी के खातेदारी अधिकार 63 (1)(1V) के तहत कानूनन सदैव के लिए समाप्त हो

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

और खातेदारी अधिकार सम्पूर्ण अधिकार सम्पूर्ण खेतान पर विप्रार्थीगण का सद्भाविक कार के रूप में कब्जा काश्त होने से विप्रार्थीगण मे निहित हो गये है। जिससे सुविधा का तुलन भी विप्रार्थीगण में निहित हो गये है। जिससे सुविधा का संतुलन भी विप्रार्थीगण के पक्ष है। वादग्रस्त खेतान पर प्रार्थी का कभी भी किसी भी भू भाग पर कब्जा काश्त नहीं रहा है प्रार्थी की आज दिन तक वादग्रस्त खेतान पर कोई रहवासी ढाणी नहीं है। तथा प्रार्थी का पशुवाड़ा, कुआं आदि बना हुआ नहीं है वादग्रस्त खेतान में बिना किसी हक–हकूक के कब्जे के अभाव में, प्रार्थी बंटवाड़ा कराने का अधिकारी नहीं है तथा कब्जा के अभाव में, वादी अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रातवादीगण के विरूद्व जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त सम्पूर्ण खेतान पर विप्रार्थीगण का कदीमी कब्जा–काश्त, रहवासी ढाणियां, पशुबाड़े कुए, टांके आदि बने हुए है। सम्पूर्ण खेतान पर विप्रार्थीगण का अपनी पैतृक थोक के अनुसार सेढ़े–माठ की भूमि पर कब्जा–काश्त कदीमी रूप से है इसलिए प्रार्थी का आवेदन खारीज योग्य है। साथ ही प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय अन्तरीम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.06.2020 काबिल खारीज है। क्योकिं एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.06.2020 के अनुसार विप्रार्थीगण के नाम स्वीकृत प्रधाममंत्री आवास, निर्माण कार्य, महानरेगा के तहत पानी के टांके का निर्माण, सिंचाई के कुए पर विद्युत संबंध व बैंकों से ऋण प्राप्त करना आदि पर रोक लग गई है जिससे विप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। जिसकी भरपाई रूपये या वस्तु से नहीं हो सकती। विप्रार्थीगण संख्या 7 की मृत्यु दिनांक 21.12.2015 को हो गई थी परन्तु मृत व्यक्ति चूंकि देवी के विरूद्व यह वाद दिनांक 20.08.2018 को चूंकि देवी को जीवित बताकर पेश किया। तथा विप्रार्थीगण संख्या 10 माडूदेवी व विप्रार्थीगण संख्या 12 के फौतगी की सूचना न्यायालय में पेश नहीं की गई है। उक्त आवेदन में मृत पक्षकार के का.मु. एवं संशोधित शीर्षक आज दिनांक तक पेश नहीं किया गया होने से उपरोक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन काबिल खारीज है। अतः श्रीमान जी से निवदेन है कि यादी का आवेदन गलत तथ्यों पर आधार पर विधि होने से प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारीज फरमाया जावें।

उभपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गय एवं पेश किये गये सम्पूर्ण दस्तावेजों का विधि सम्मत् अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बहस एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पूर्व में पेश किये गये प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान योजना के मकान निर्माण की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया है।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

312/18

उपरोक्त विश्लेषण आधार पर प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की अनुमति देते हुए प्रार्थना को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि उभयपक्षकारान वाद के ताफैसला तक जान या हस्तान्तरण न करे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

(रामजी भाई कलेबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा